सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-10 वृहस्पतिवार, दिनांक-04 मार्च, 2021 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक ।

[1] **आसन की सूचना:-**

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज अमर कथा शिल्पी और महान साहित्यकार स्व० फनीश्वर नाथ रेणु की जन्म शताब्दी जयंती है । उनका जन्म अररिया जिला के औराही इंगना ग्राम में आज ही के दिन सन् 1921 ई० को हुआ था । रेणु जी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में शुमार थे और वे मानवता के सच्चे उपासक भी थे । वे एक संवेदनशील इंसान के साथ साथ सच्चे पर्यावरण प्रेमी थे । प्रकृति से उनका गहरा लगाव था । उनका साहित्य हमें मिट्टी और मनुष्यता से गहरा लगाव सिखाता है । उनके द्वारा रचित पहला उपन्यास ''मैला आंचल'' है जिसमें सीमांचल की जीवंत दास्तां का वर्णन है । यह हमें हर सीमा से उठ कर समरस जीवन के लिए प्रेरित करता है । ऐसे कालजयी अमर कथाकार रेणु जी को उनकी जन्म शताब्दी जयंती पर आसन एवं संपूर्ण सदन की ओर से शत्-शत् नमन और वंदन किया गया ।

[2] **प्रश्नकाल :-**

(i) 04 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।
(ii) 03 अल्पसूचित प्रश्न अनागत ।
(iii) 13 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।
(iv) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-'क'-955 ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित ।
(v) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-966 स्थगित ।
(vi) 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।
(vii) 107 तारांकित प्रश्न अनागत ।

अल्पसूचित प्रश्नों के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित कुल 04 अल्पसूचित प्रश्नों में से 01 का उत्तर ही ऑनलाईन प्राप्त होने पर उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग से विभागीय उत्तर ससमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था का निदेश दिया गया ।

[3] अन्य चर्चा :-

प्रश्नकाल की समाप्ति के उपरांत माननीय सदस्य श्री विनोद नारायण झा द्वारा आसन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा गया कि 10 मार्च को सत्र के बाद 11 मार्च को शिवरात्रि के कारण सत्र नहीं है एवं 12 मार्च को सत्र के बाद 13 एवं 14 मार्च सार्वजनिक अवकाश है । साथ ही आसन से निवेदन किया कि 12 मार्च के लिए सत्र हेतु सूचीबद्ध कार्यक्रम को महा शिवरात्रि को देखते हुए आगे समायोजित किया जाय ।

आसन द्वारा कहा गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में संज्ञान लिया जायगा ।

[4] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i) श्री विनय बिहारी
(ii) श्री शंभुनाथ यादव
(iii) श्रीमती भागीरथी देवी
(iv) श्री रामबली सिंह यादव
(v) श्री महा नंद सिंह
(vi) श्री विजय कुमार खेमका
(vii) श्री विद्या सागर केशरी
(viii) श्री राकेश कुमार रौशन
(ix) श्री मो० अनजार नईमी
(x) श्री रणविजय साहू
(xi) श्री मो० इजहार अशफी
(xii) श्री मो० नेहालउद्दीन
(xiii) श्री मुकेश कुमार यादव
(xiv) श्री भूदेव चौधरी
(xv) श्री कुमार शैलेन्द्र
(xvi) श्री अजय कुमार सिंह
(xvii) श्री कृष्णनंदन पासवान
(xviii) श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव
(xix) श्री सुदामा प्रसाद
(xx) श्री समीर कुमार महासेठ
(xxi) श्री गोपाल रविदास
(xxii) श्री मिथिलेश कुमार
(xxiii) श्री जय प्रकाश यादव
(xxiv) श्री मो० इजरायल मंसूरी
(xxv) श्री अचमित ऋषिदेव
(xxvi) श्री शमीम अहमद
(xxvii) श्रीमती शालिनी मिश्रा
(xxviii) डा० सी०एन० गुप्ता
(xxix) श्री अखतरूल ईमान
(xxx) श्री अरूण शंकर प्रसाद
(xxxi) श्री मुकेश कुमार रौशन
(xxxii) श्री पवन कुमार यादव
(xxxiii) श्री प्रणव कुमार
(xxxiv) श्री विजय कुमार
(xxxv) श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव
(xxxvi) श्री विनय कुमार
(xxxvii) श्री आनंद शंकर सिंह
(xxxviii) श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी
(xxxix) डा० रामानुज प्रसाद
(xl) श्री सुधाकर सिंह
(xli) श्री बिरेन्द्र प्रसाद गुप्ता
(xlii) श्री अजीत कुमार सिंह
(xliii) श्री महबूब आलम
(xliv) श्री मुरारी मोहन झा
(xlv) श्री मुरारी प्रसाद गौतम

इस दौरान आसन द्वारा माननीय सदस्यों से शून्यकाल में व्यक्तिगत विषयों को छोड़कर लोकहित के विषय को उठाने का अनुरोध किया गया ।

माननीय सदस्य श्रीमती भागीरथी देवी एवं श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी के शून्यकाल सूचना पर आसन द्वारा सरकार को संज्ञान लेने का निदेश दिया गया ।

माननीय सदस्य श्री भूदेव चौधरी एवं श्री मुकेश कुमार रौशन को उनकी सूचना के संक्षिप्त होने के कारण आसन द्वारा धन्यवाद दिया गया ।

[5] आसन का निदेश :-

आसन द्वारा ट्रेजरी बेन्च से आग्रह किया गया कि शून्यकाल के दौरान वैसे मंत्रिगण सदन में अवश्य रहें जो विधान परिषद् में इस अवधि में नहीं रहते हैं । इससे शून्यकाल की प्रासंगिकता बनी रहेगी ।

[6] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य, श्री सुदामा प्रसाद एवं अन्य सभासदों का शिक्षा विभाग से संबंधित एवं दिनांक-22 फरवरी, 2021 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा दिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य, डा० रामानुज प्रसाद का सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा इसका उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा दिया गया ।

(iii) माननीय सदस्य, श्री मुरारी मोहन झा एवं अन्य सभासदों का शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा द्वारा पढ़ा गया तथा इसका उत्तर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा दिया गया ।

[7] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

1. माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार लोकायुक्त (अन्वेषण) नियमावली, 2013 एवं बिहार लोकायुक्त (अन्वेषण) (संशोधन) नियमावली, 2020 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया । यह 30 दिनों तक सभा मेज पर रखा रहेगा ।

2. माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा ''बिहार लोक सेवाओं का अधिकार नियमावली, 2011'' की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

3. माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य-सीमन) विनियमावली, 1957 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना संख्या-10757, दिनांक- 09. 08.2018; 2654, दिनांक-26.02.2019 एवं 9794, दिनांक-22.07.2019 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया । यह 14 दिनों तक सभा मेज पर रखा रहेगा ।

4. माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010; बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011; बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014; बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड प्रशिक्षण) (संशोधन) विनियमावली, 2014; बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड विभागीय परीक्षा) (संशोधन) विनियमावली, 2015; बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड प्रशिक्षण) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2015 एवं बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2017 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया । यह 14 दिनों तक सभा मेज पर रखा रहेगा ।

5. माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा अधिसूचना संख्या- 2741, दिनांक- 25.03.2010; 13483, दिनांक- 12.12.2011; 824, दिनांक- 16.01.2015; 5192, दिनांक-06.04.2015; 3135, दिनांक- 06.03.2018; 5031, दिनांक- 13.04.2018; 3216, दिनांक-08.03.2019 एवं 15163, दिनांक-08.11.2019 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया । यह 14 दिनों तक सभा मेज पर रखा रहेगा ।

6. माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2015; बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) नियमावली, 2018 (अधिसूचना संख्या-13247, दिनांक- 04.10.2018); बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) नियमावली, 2018 (अधिसूचना संख्या-15672, दिनांक- 03.12.2018); बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) नियमावली, 2019 एवं बिहार तकनीकी सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त्तें) विनियमावली, 2019 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया । यह 14 दिनों तक सभा मेज पर रखा रहेगा ।

7. माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार समूह ''घ'' (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2010 तथा संशोधित अधिसूचना संख्या-1361, दिनांक 04.05.2011; बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2010; बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2011; बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014; बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता (संशोधन) नियमावली, 2020; बिहार न्यायायिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2020; बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2020; बिहार जूडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स, 2021; बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्त्तें) विनियमावली, 1960 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना संख्या-12520, दिनांक- 17.11.2011; 3700, दिनांक- 06.07.2015; 11960, दिनांक- 17.08.2015 एवं 7511, दिनांक 07.06.2018 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05.01 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[8] **वित्तीय कार्य** :-

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड-04 (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्रम संसाधन विभाग, वित्त विभाग, पेंशन तथा वाणिज्यकर विभाग)] पर वाद-विवाद एवं मतदान :-

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री राम सूरत कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया ।

अनुदान की मांग पर कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग के मूल प्रस्ताव एवं इस पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री भूदेव चौधरी
(ii) श्री विनय बिहारी
(iii) डा० संजीव कुमार

(माननीय अध्यासी सदस्य श्री मो० आफाक आलम द्वारा आसन ग्रहण किया गया)

(iv) श्री चेतन आनन्द

(v) श्री विश्व नाथ राम

(vi) श्री अरूण शंकर प्रसाद

(vii) श्री राजेश कुमार सिंह

(viii) श्री सत्यदेव राम

(ix) श्री मो० इजहार असफी

(x) श्रीमती ज्योति देवी

(xi) डा० सत्येन्द्र यादव

(xii) श्री देवेश कान्त सिंह

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

(xiii) श्री मो० आफाक आलम

(xiv) श्री राजकुमार सिंह

(xv) श्री सूर्यकान्त पासवान

(xvi) श्री पंकज कुमार मिश्र

(xvii) डा० रामानुज प्रसाद

(xviii) श्री मिश्री लाल यादव

तदुपरान्त माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, श्री जिवेश कुमार द्वारा विभाग से संबंधित जानकारी से सदन को अवगत कराया गया ।

तत्पश्चात् सरकार की ओर से माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री राम सूरत कुमार द्वारा वाद-विवाद का उत्तर दिया गया ।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए ।

तदुपरान्त माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ ।

[9] <u>निवेदन</u> :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 34 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तदुपरान्त सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक-05 मार्च, 2021 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-04.03.2021

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।